

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 28.06.2021

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 25 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. विश्वनाथ पुत्र स्वामीनाथ नि० पाण्डेय खरगूपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 102/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

02. थाना को०नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. वीरेन्द्र पुत्र राममूरत नि० खैरा कुम्भनगर थाना को०नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०- 484/21, धारा 60,60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. संतराम पुत्र सुभा नि० ग्राम महुआडीह थाना को०मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-176/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.06.2021

210 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 28.06.2021 को थाना करनैलगंज के उ०नि० प्रदीप कुमार गंगवार मय हमराह के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त बरसाती को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 210 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना करनैलगंज में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. बरसाती पुत्र शोहराब नि० मदारपट्टी पचमढी थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 239/21, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 210 ग्राम अवैध गांजा ।

गिरफ्तार कर्ता-

उ०नि० प्रदीप कुमार गंगवार मय टीम ।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल
जनपद गोण्डा दिनांक 28.06.2021

थाना को0नगर द्वारा नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

संक्षिप्त विवरण-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0नगर पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त नसीर अहमद उर्फ गुल्ले को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0नगर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. नसीर अहमद उर्फ गुल्ले पुत्र नजीर अहमद नि0 काशीराम कालोनी थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 486/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तारकर्ता-

01. उ0नि0 कुबेर तिवारी मय टीम ।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.06.2021

‘ऑपरेशन तमंचा’ अभियान में थाना कौड़िया द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने ‘ऑपरेशन तमंचा’ अभियान के अन्तर्गत अवैध शस्त्र/कारतूस रखने वालो एवं इनका क्रय-विक्रय करने वालो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त विकास सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौड़िया में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विकास सिंह पुत्र रंजीत सिंह नि0 ग्राम छितौनी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 100/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 अजय कुमार पाण्डेय मय टीम।

01. मु०सं०अ०- 74/86, धारा 394 भादवि० थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. मु०सं०अ०- 75/88, धारा 452,324,323,506 भादवि० थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
03. मु०सं०अ०- 34/89, धारा 147,148,149,307,302 भादवि० थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
04. मु०सं०अ०- 158/91, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
05. एनसीआर नं०- 144/92, धारा 323,352 भादवि० थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
06. एनसीआर नं०- 145/92, धारा 323,352,504 भादवि० थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
07. मु०सं०अ०- 83/92, धारा 110 जी थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
08. मु०सं०अ०- 103/93, धारा 3(1) यू०पी० गुण्डा एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
09. मु०सं०अ०- 102/93, धारा 3/4 गुण्डा एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
10. मु०सं०अ०- 144/01, धारा 147,323,504,506,384 भादवि० थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
11. एनसीआर नं०- 21/08, धारा 323,504,506,427 भादवि० थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
12. मु०सं०अ०- 38/08, धारा 3(1) गुण्डा एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
13. मु०सं०अ०- 59/08, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
14. मु०सं०अ०- 59/10, धारा 3(1) यू०पी० गुण्डा एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
- 15. मु०सं०अ०- 111/19, धारा 302,201,120बी भादवि० थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।**
16. मु०सं०अ०- 301/2020, धारा-174ए भादवि० थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम:-

01. प्र०नि०तरबगंज श्री संतोष कुमार सरोज मय टीम ।
- 02 प्रभारी मय टीम ०एसओजी. ।